

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 278/2021

वादीगण-

1. सम्पतराम पुत्र जसाराम , जाति जाट निवासीगण जानेवा पूर्व, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. अनिल कुमार पुत्र जसाराम
2. रुस्तम पुत्र जसाराम
3. सुशीला पुत्री जसाराम
4. जसाराम पुत्र रामरख, जातियान जाट निवासीगण जानेवा पूर्व तहसील जायल।
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 131 रकबा 6.8716 हैक्टेयर, खसरा नंबर 409/131 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा नंबर 410/131 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर, मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर जो प्रतिवादी संख्या 4 जसाराम के खातेदारी में रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2065 वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से च) अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी सम्पतराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 2.9845 व 0.7226 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5426 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 2.4951 व 1.2120 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5427 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 रुस्तम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 1.4180 व 2.1821 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5426 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 जसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में

21/6/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 0.1170 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 0.0826 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 0.2120 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3, 4 सुशीला व जसाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 131 रकबा 6.8716 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 409/131 रकबा 0.3723 व खेत खसरा नंबर 410/131 रकबा 0.1214 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनकशानुसार रकबा 0.1173 हैक्टेयर राजहक में कटाणी रास्ता रखा गया है तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनकशानुसार रकबा 0.0586 हैक्टेयर राजहक में कटाणी रास्ता रखा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच आसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सीव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजर, नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 06.12.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट जालनियासर में जरिये अधिवक्ता स्वयं उपस्थिति के साथ राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र सम्पतराम पुत्र जसाराम, जसाराम पुत्र रामरख के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम जानेवा पूर्व तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 67 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी ग्राम जानेवा पश्चिम तहसील जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्याप्रदर्श-2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनकशानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार

नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिष्ठाता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबंदी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर गौरव किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट आकार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा जानेवा पूर्व एवं जानेवा पश्चिम के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नं. 131, 409/131, 410/131 की भूमि को यथावत प्रतिवादी संख्या 3, 4 के संयुक्त हक बंट में तथा शेष मुतदाविया खेत खसरा नंबर 50 व मौजा जानेवा पश्चिम के खेत खसरा नंबर 113, 110 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 के हक बंट में हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नंबर 50 तथा मौजा जानेवा पश्चिम के खेत खसरा नंबर 113, 110 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 27.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 27.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2119 दिनांक 8.03.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में प्रतिवादीगण जसाराम, अनिल कुमार, सुशीला ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। वादी सम्पतराम व प्रतिवादी रूस्तम बाहर जाना बताया गया है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान प्रहलादराम व ईशरपुरी तथा भूअभिनिरीक्षक कमेडिया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होंने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 131 रकबा 6.8716 हैक्टेयर, खसरा नंबर 409/131 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा नंबर 410/131 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर, मौजा जानेवा

पश्चिम का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 4 जसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 131 रकबा 6.8716 हैक्टेयर, खसरा नंबर 409/131 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा नंबर 410/131 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर, मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 4 जसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सम्पतराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 2.9845 व 0.7226 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5426 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 2.4951 व 1.2120 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5427 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रूस्तम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 1.4180 व 2.1821 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5426 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 जसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 0.1170 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 0.0826 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 0.2120 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3, 4 सुशीला व जसाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 131 रकबा 6.8716 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 409/131 रकबा 0.3723 व खेत खसरा नंबर 410/131 रकबा 0.1214 हैक्टेयर पूरा रखा गया है व मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनक्शानुसार रकबा 0.1173 हैक्टेयर रखा गया है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर (ए.ए. जायल)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 278/2021

वादीगण-

1. सम्पतराम पुत्र जसाराम , जाति जाट निवासीगण जानेवा पूर्व, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. अनिल कुमार पुत्र जसाराम
2. रूस्तम पुत्र जसाराम
3. सुशीला पुत्री जसाराम
4. जसाराम पुत्र रामरख, जातियान जाट निवासीगण जानेवा पूर्व तहसील जायल।
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्वंग उपस्थिति एवं अधिवक्ता रामप्रकाश बेंदा व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 131 रकबा 6.8716 हैक्टेयर, खसरा नंबर 409/131 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा नंबर 410/131 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर, मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी 4 जसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सम्पतराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 2.9845 व 0.7226 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5426 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 2.4951 व 1.2120 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5427 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।



21/6/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 2 रूस्तम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 1.4180 व 2.1821 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 1.5426 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 जसाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से 0.1170 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा मौजा जानेवा पश्चिम का खेत खसरा नंबर 113 रकबा 4.7105 हैक्टेयर में से 0.0826 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 110 रकबा 3.8121 हैक्टेयर में से 0.2120 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3, 4 सुशीला व जसाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 131 रकबा 6.8716 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 409/131 रकबा 0.3723 व खेत खसरा नंबर 410/131 रकबा 0.1214 हैक्टेयर पूरा रखा गया है व मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 50 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से माफिक नजरीनकशानुसार रकबा 0.1173 हैक्टेयर रखा गया है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूल्याबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

जायल (नागौर)